[1][प्ररूप सं0 56च

[नियम 16घ देखिए]

आय-कर अधिनियम की धारा 10कक के अधीन रिपोर्ट

1. मैंने/हमने*...(निर्धारिती का नाम और पता, स्थायी खाता संख्यांक सहित) के उनकी....................... नामक इकाई के, जो 31 मार्च.............को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, वस्तुओं या चीजों या सेवा उपबंध, निर्यात में लगी हुई थी, कारबार से संबंधित लेखाओं और अभिलेखों की जांच की है।

2. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि वह इकाई विशेष आर्थिक जोन*....................................के अधीन रजिस्ट्रीकृत................................. (इकाई की सही अवस्थिति) में अवस्थित है और यह कि निर्धारिती द्वारा आय-कर नियम, 1961 की धारा 10कक के अधीन निर्धारण वर्ष........की बाबत दावा की गई कटौती..........रुपए की है, जिसका अवधारण इस प्ररूप के उपाबंध क में दिए गए ब्यौरों के आधार पर किया गया है।

3. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने* इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौती की संगणना करने के लिए आवश्यक सभी सुसंगत जानकारी एकत्रित की है और निर्धारिती के लेखाओं और अभिलेखों के संदर्भ में उन्हें सत्यापित किया है।

4. मेरी/हमारी* राय में तथा मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे/हमें* दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबंध क में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

तारीख.................. हस्ताक्षर

@अकाउंटेंट

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो, उसे काट दें।

2. @ यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी ;

3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय में उत्तर, नहीं में, दिया जाता है या किसी अर्हता के साथ दिया जाता है वहां रिपोर्ट में उसके कारण दिए जाएंगे।

उपाबंध क

[प्ररूप 56च का पैरा 2 देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10कक के अधीन कटौती के लिए निर्यातक द्वारा दिए गए दावे से संबंधित ब्यौरा

1. निर्धारिती का नाम

---

1. आय-कर (छब्बीसवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से **29.7.2021** से अंतःस्थापित।

2. निर्धारण वर्ष

3. इकाई का नाम

4. इकाई की अवस्थिति और पता

5. इकाई के कारबार की प्रकृति

6. एस.ई.जैड. के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख

7. निर्माण या उत्पादन या सेवाओं के उपबंध के प्रारंभ की तारीख

8. क्रमवर्ती वर्षों की संख्या, जिनके लिए कटौती का दावा किया गया है

9. कारबार का कुल आवर्त

10. इकाई का कुल आवर्त

11. कारबार द्वारा व्युत्पन्न कुल लाभ

12. इकाई द्वारा व्युत्पन्न कुल लाभ

13. कुल निर्यात आवर्त

14. इकाई द्वारा—

(क) वस्तुओं या चीजों ; अथवा

(ख) सेवा उपबंध

15. इकाई के

(i) वस्तुओं या चीजों ; अथवा

(ii) सेवा उपबंध

16. कृपया विनिर्दिष्ट करें

(i) क्या इकाई द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित संपूर्ण प्रतिफल, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर भारत में लाया गया था — *हां/नहीं

(ii) यदि नहीं, तो क्या यह पूर्ववर्ष उस अतिरिक्त अवधि के भीतर भारत में लाया गया था, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की गई हो — *हां/नहीं

(iii) जहां ऐसी रकम किसी अन्य पूर्ववर्ष से संबंधित है, यदि ऐसी रकम संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में सुसंगत पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के परे और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से भारत में लाई जाती है तो उस रकम तथा सुसंगत पूर्ववर्ष की विनिर्दिष्ट करें । उस प्राधिकारी के नाम तथा उस अवधि का, जिस तक अनुमोदन दिया गया था, भी उल्लेख करें ।

(iv) विक्रय आगमों की, यदि कोई हों, रकम जो निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर के किसी बैंक में रखे गए पृथक् खाते में जमा किए गए हों और भारतीय रिजर्व बैंक का उसके लिए अनुज्ञा देने संबंधी निर्देश संख्यांक

17. धारा 10कक के अधीन कटौती की वह रकम, जिसके लिए निर्धारिती हकदार है, परिकलन पत्र सहित

18. उपरोक्त के संबंध में अर्हताएं, यदि कोई हो]।